2018 का विधेयक संख्यांक 148

[दि पर्सनल लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869, मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956, का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 है

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 का संशोधन

1869 के अधिनियम सं0 4 की धारा 10 का संशोधन ।

2. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (iv) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 3

मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939 का संशोधन

1939 के अधिनियम सं0 8 की धारा 2 का संशोधन ।

3. मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 के आधार (vi) में "कुष्ठ या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 4

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का संशोधन

1954 के अधिनियम सं0 43 की धारा 27 का संशोधन ।

4. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (छ) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 5

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का संशोधन

1955 के अधिनियम सं0 25 की धारा 13 का संशोधन ।

5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (iv) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 6

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 के अधिनियम सं0 78 की धारा 18 का संशोधन ।

6. हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगियों को समाज से अलग और पृथक् किया गया था, क्योंकि कुष्ठ रोग निदान योग्य नहीं था और समाज उनके प्रतिकूल था । तथापि, इस बीमारी का निदान करने के लिए गहन स्वास्थ्य देखभाल और आधुनिक चिकित्सा की उपलब्धता के परिणामस्वरूप उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना आरंभ हुआ । कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति विभिन्न कानूनों में अंतर्विष्ट विभेदकारी उपबंध कुष्ठ रोग को निदान योग्य रोग बनाने वाली चिकित्सीय प्रगति से पहले किए गए थे । वर्तमान में, कुष्ठ रोग पूर्णत: निदान योग्य है और इसका उपचार बहु-औषधि चिकित्सा से किया जा सकता है । तथापि, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति विभेद करने वाले पुराने विधायी उपबंध विभिन्न विधियों में आज भी विद्यमान हैं ।

2. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के प्रति विभेद का उन्मूलन' पर वर्ष 2010 में एक संकल्प स्वीकार किया था । भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और उक्त संकल्प का अनुसमर्थन किया है ।

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, अपनी 3 जनवरी, 2008 को हुई बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय स्वीय विधियों और अन्य विधानों में संशोधनों की सिफारिश की थी । इसके अतिरिक्त, राज्य सभा की याचिका संबंधी समिति ने अपनी 131वीं रिपोर्ट में "कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के एकीकरण और सशक्तिकरण की प्रार्थना करने वाली याचिका" पर, विभिन्न कानूनों की समीक्षा की थी और यह वांछा की थी कि संबंधित मंत्रालय और राज्य सरकारें संबंधित विधानों में ऐसे कालदोषयुक्त और विभेदकारी उपबंधों में संशोधनों पर तुरंत विचार करेंगी । भारत के 20वें विधि आयोग ने "कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति विभेद का उन्मूलन" नामक अपनी 256वीं रिपोर्ट में कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति विभिन्न कानूनों में विभेदकारी उपबंधों को हटाने की भी सिफारिश की है ।

4. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, संघ सरकार और राज्य सरकारों को निदेश दिया कि वे जहां कुष्ठ रोग को कलंकित दिव्यांगता माना गया है, उन उपबंधों के निरसन करने के लिए कदम उठाने सहित मुख्य-धारा में कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास और एकीकरण के लिए कदम उठाएं ।

5. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों, राज्य सभा की याचिकाएं संबंधी समिति के संप्रेक्षणों, विधि आयोग की सिफारिशों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने स्वीय विधियों से ऐसे विभेदकारी उपबंधों का लोप करने का विनिश्चय किया है ।

6. अत:, स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2018, विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4), मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का 8), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43), हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) तथा हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) का संशोधन करने के लिए है, ताकि उनमें अन्तर्विष्ट ऐसे उपबंधों का लोप किया जा

सके, जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति विभेदकारी हैं ।

7. पूर्वोक्त विधेयक, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति विभेद का समापन सुनिश्चित करेगा और समाज की मुख्य धारा में उनके एकीकरण के लिए उपबंध करेगा ।

8. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 अगस्त, 2018

रवि शंकर प्रसाद

उपाबंध

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * *

3—विवाह का विघटन

2001 का 51

विवाह के विघटन के लिए आधार ।

10. (1) कोई विवाह, चाहे भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या उसके पश्चात्, पति अथवा पत्नी द्वारा जिला न्यायालय को प्रस्तुत अर्जी पर, इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात्—

* * * * *

(iv) प्रत्यर्थी, अर्जी प्रस्तुत करने के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए उग्र और असाध्य, कुष्ठ से पीड़ित रहा है ; या

* * * * *

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का अधिनियम संख्यांक 8) से उद्धरण

* * * * *

विवाह-विघटन की डिक्री के लिए आधार ।

2. मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी, अर्थात् :—

* * * * *

(vi) पति दो वर्ष तक उन्मत्त रहा है या कुष्ठ या उग्र रतिज रोग से पीड़ित है;

* * * * *

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

* * * * *

विवाह-विच्छेद ।

27. (1) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीनबनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी जिला न्यायालय में पति या पत्नी द्वारा इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि—

* * * * *

(छ) प्रत्यर्थी कुष्ठ से पीड़ित रहा है जो रोग उसे अर्जीदार से नहीं लगा था; अथवा

* * * * *

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 25) से उद्धरण

* * * * *

विवाह-विच्छेद ।

13. (1) कोई भी विवाह, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात्, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि—

* * * * *

(iv) दूसरा पक्षकार उग्र और असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा है; या

* * * * *

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 78) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 3

भरण-पोषण

पत्नी का भरण-पोषण ।

18. (1) * * * *

(2) हिन्दू पत्नी अपने भरण-पोषण के दावे को समपहृत किए बिना अपने पति से पृथक् रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी—

* * * * *

(ग) यदि उसका पति उग्र कुष्ठ से पीड़ित है;

* * * * *

MGIPMRND—1535LS(CRC)—08-08-2018.